ISSN: 2231-5063 Impact Factor : 3.4052(UIF) Volume - 5 | Issue - 6 | Dec - 2015

GRT Golden Research Thoughts

''नगरीय निकायों की सामाजिक विकास में भूमिका: मध्यप्रदेश के उज्जैन नगर के विशेष संदर्भ में''

[1]पूर्णिमा लोदवाल , [2]एस.एस. मौर्य , [3]विजय सिंह

[1]सहायक प्राध्यापक (राज. वि.) शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम
[2]सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम
[3]सोसियट प्रोफेसर (भूगोल) (विशेष सहायक नेता प्रतिपक्ष विधान सभा)

सारांश :-

लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ अनिवार्य हैं। लोकतंत्र के वास्तविक परिणाम स्थानीय 'शासन द्वारा ही जनता के लिए प्राप्त हो सकते हैं। स्थानीय स्वषासन केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा बनाई गई एक 'शासकीय संस्था होती है, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते है, वे अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर दिए अधिकारों का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं।

प्रस्तावना :–

भारतीय गणराज्य में स्थानीय स्वशासन की परम्परा बहुत पुरानी है। यहाँ पर 'शासन स्थानीय 'शासन स्वायत्त संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता रहा है। सामान्य जनप्रतिनिधि पर आधारित ऐसी स्वयत्तशासी संस्थाएँ अंग्रेजों के समय के पहले भी थी और बाद में भी रही। वायसराय लार्ड रिपन ने अंग्रेजों के जमाने में इसे गति प्रदान की। ऐतिहासिक रूप में म्युनिसिपल एक्ट १८८२ ''दि पीपुल्स एक्ट'' भारत के लिए मार्ग दर्शन साबित हुआ। १९५२ का सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं १९६१ के अधिनियम के अंतर्गत नगर पालिका का गठन स्वतंत्र भारत में हुआ।

स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में ७४ वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देते हुए सुनिश्चित किया गया है कि नगरीय निकाय स्वायत्तशासी एवं वास्तविक रूप से जनप्रतिनिधित्व एवं जनभागीदारी से क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण संस्था बने।

७४ वें संविधान संशोधन, संशोधन नगरीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं जिसके माध्यम से इन संस्थाओं को न केवल स्थायित्व प्रदान किया गया वरन् उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

शोध के निम्न उद्देश्य है –

शोध के दृष्टिकोण से उज्जैन की नगर पालिका का अपना विषेश स्थान हैं साथ ही पारिस्थितिक और वर्तमान स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसके द्वारा वानिकी पर्यावरण संरक्षण, दुर्बल एवं विकलांगों के हितों की रक्षा एवं नगरीय निर्धनता उन्मुलन कार्यक्रम का मूल्यांकन उसकी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और उसकी कार्य प्रणाली से स्पष्ट एवं सुनिष्चित तथा सफल बनाने में मदद करेगा।

इस शोध के तहत उज्जैन नगर निगम के कार्यो एवं विवेकाधीन कर्तव्यों के अंतर्गत आने वाले आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनओं का अध्ययन करेंगें।

१.सामाजिक विकास एवं नगरीय निकायों के संदर्भ में आम नागरिकों का दृष्टिकोण ।
२.नगर निगम द्वारा सामाजिक विकास की दिशा में किए गए विभिन्न कार्यो का मूल्यांकन करना।

शोध प्रविधि –

प्रस्तावित अध्ययन नगर निगम द्वारा सामाजिक विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यो के मूल्यांकन पर केन्द्रित रहेगा। अध्ययन

हेतु विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से तथ्यों का संकलन किया जाएगा। प्राथमिक स्त्रोतों में नगर निगम 'शासकीय अभिलेख, पुस्तकें, जर्नल अधिनियम, 'शासकीय आदेश इत्यादि से तथ्यों को एकत्र किया जाएगा। द्वितीयक स्त्रोतों से विभिन्न विद्वानों के पुस्तकों में प्रकाशित अध्ययन व पत्र-पत्रिकाओं को लिया गया है।

नगर निगम एवं सामाजिक विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में दृष्टिकोण आम नागरिकों से साक्षत्कार के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। इस हेतु एक साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया जायेगा।

प्राप्त तथ्यों को विषय वर्गीकृत कर विश्लेषित किया जाएगा एवं सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष प्राप्त किए जायेंगें।

वर्ष १९५६ में नवीन मध्यप्रदेश के गठन पश्चात् अधिनियम क्रमांक १३ सन् १९६१ के द्वारा मध्य भारत नगर पालिका अधिनियम १९५६ का संशोधन एवं विस्तार करते हुए मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम १९५६ प्रभावशील किया गया ७४ वें संविधान संशोधन के अनुरूप मध्यप्रदेश में भी वर्षो से भंग नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों के निर्वाचन करवाकर उन्हें नगरीय विकास के संदर्भ में अनेक शक्तियों एवं कर्तव्यों से किया गया।

नगर पालिकाओं या नगर निगम को प्रत्यायोजित कार्यो के तहत नगर निगम अधिनियम की धारा ६६ एवं ६७ तथा नगर पालिका अधिनियम की धारा १२३ एवं १२४ के अनुसार नगर निगम या नगर पालिका के कार्यो को दो भागों में बॉटा जा सकता है।

नगर निगम अधिनियम की धारा ६६ एवं ६७ तथा नगर पालिका अधिनियम के द्वारा दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं। अनिवार्य तथा विवेकाधीन। नगर को स्वच्छ, सुन्दर और सुव्यवस्थित रखने की दृश्टि से उन्हें नगर पालिका के अनिवार्य कर्तव्यों के अंतर्गत मूख्य रूप से सफाई,, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाईट, फायर बिग्रेड, जल प्रदाय, 'शौचालय, मूत्रालय, सार्वजनिक बाजार, वधशाला, इत्यादि आते हैं जबकि सार्वजनिक उद्यान, पुस्तकालय, वाचनालय, नहाने के स्थान, नगरीय योजना, भूमि उपयोग का विनिमय, भवनों का निर्माण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजनाएँ, वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण, परिस्थिति आयामों की अभिवृद्धि, समाज के दुर्बल वर्गो, विकलांगों आदि के हितों की रक्षा, नगरीय निर्धनता उन्मुलन इत्यादि आते है।

नगर निगम के प्रत्यायोजित कार्यो में विवेकाधीन कार्यो के तहत सामाजिक विकास कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके तहत समाज के कमजोर, दुर्बल विकलांग लोगों की रक्षा के साथ निर्धनता उन्मूलन एवं शासकीय सामाजिक विकास एवं सुरक्षा की योजनाओं का क्रियान्वयन करना है।

उज्जैन में नगर निगम के गठन का पहला प्रयास १८८६ में किया गया जो मात्र एक आदेश पुस्तिका के आधार पर चलाया जाता था। यहॉ नगर पालिका से संबंधित प्रथम विधान १९०३ में बनाया गया किन्तु यह बहुत सफल नहीं हो पाया। १९३० की गजट अधिसूचना के आधार पर प्रथम चुनाव सम्पन्न हुआ। मध्य भारत की स्थापना के साथ १९५४ के मध्य भारत नगर पालिका विधान के तहत उज्जैन में नगर पालिका का गठन किया गया और इसका प्रथम निर्वाचन १९५५ में हुआ। राज्य पुनर्गठन के पश्चात् द्वितीय नगर पालिका परिषद गठित हुई जो १९५८ से १९६५ तक रही। १९६२ में उज्जैन को नगर पालिका की जगह नगर निगम का दर्जा दिया गया कालान्तर में १९७३, १९७६ और १९८० में यहॉ चुनाव हुआ और नगर निगम कार्यरत रहा। १९९४ में ७४ वॉ संविधान संशोधन आने के बाद उज्जैन नगर ने पूनः कार्य करना प्रारंभ किया ज्ञातव्य हैं कि १९८६ से १९९४ तक यह संस्था अपना कार्य किन्ही कारणों से सम्पादित नही कर पाई एवं १९९४ के उपरांत निरंतर कार्य कर रही है।

आम नागरिकों का दृष्टिकोण –

नगर निगम के प्रत्यायोजित कार्यो में विवेकाधीन कार्यो के तहत सामाजिक विकास कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण कार्य है उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा सामाजिक विकास को इस शोध में विवेचित करने का प्रयास किया गया है।

नगर निगम के सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूकताः

सामाजिक विकास कार्य नगर निगम के दायित्वों में एक महत्वपूर्ण कार्य है। जिसके तहत शिक्षा, स्वस्थ्य, पेयजल, गरीवी उन्मुलन, बेरोजगारी उन्मुलन, वृद्धावस्था एवं निराश्रित सहायता आदि अनेक कार्यक्रम आते है। नगर निगम के सामाजिक दायित्वों की जानकारी के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गई।

तालिका क्र. १.१
नगर निगम के सामाजिक कार्यो की जानकारी

क्र.	कार्य	संख्या	प्रतिशत
1	स्वास्थ्य	38	26.39
2	शिक्षा	69	47.91
3	वृद्ध एवं निराश्रित कल्याण	15	10.42
4	महिला एवं बाल विकास	27	18.76
5	गंदी बस्ती उनमुलन	11	07.64
6	रोजगार उपलब्ध कराना	26	18.06
7	कोई उत्तर नहीं	04	02.78

तलिका से स्पष्ट होता है कि २६.३६ प्रतिशत उत्तदाता स्वास्थ्य को नगरीय निकायों के सामाजिक कार्यो के अन्तर्गत मानते हैं जबकि ४७.६१ प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षा संबंधी कार्यो को सामाजिक विकास के कार्यो के अन्तर्गत मानते हैं। १८.७६ उत्तरदाता ऐसे है जो महिला एवं बाल विकास से संबंधी कार्यो को नगर निगम के समाजिक दायित्वों के अन्तर्गत माानते हैं इतने ही प्रतिशत उत्तरदाता यह भी मानते है कि नगर निगम के सामाजिक कार्यो के तहत रोजगार उपलब्ध करवाना भी है। १०.४२ प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे है जो वृद्ध एवं निराश्रित कल्याण को नगर निगमों के सामाजिक दायित्वों के अन्तर्गत मानते है। जबकि ७.६४ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने गंदी बस्ती उन्मुलन कार्याक्रम को भी नगर निगम के सामाजिक दायित्वों के अन्तर्गत बताया। २.७८ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया।

नगर निगम के सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूकता में ८८.८६ प्रतिषत उत्तरदाता नगरीय निकायों के सामाजिक दायित्वों से परिचित है।

तालिका क्र. 1.2
नगर निगम उज्जैन द्वारा सामाजिक विकास के क्षेत्र में करवाये गये कार्य

क्र.	कार्य प्रतिशत	संख्या	
1	वृद्धवस्था पेंशन योजना	36	22.22
2	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	19	11.72
3	परिवार सहायता कार्यक्रम	16	09.88
4	मातृत्व सहायता	31	19.13
5	बेरोजगारी भत्ता	34	20.98
6	सुलभ काम्पलेक्स	10	06.17
7	गंदी बस्ती सुधार	06	03.70
8	स्कूलों में मध्यान्ह भोजन	42	25.92
9	गरीबी रेखा के राशन कार्ड	21	12.97
10	सास–बहु सम्मेलन	24	14.81
11	रोजगार हेतु ऋण एवं अनुदान	21	12.96

तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं ने नगर निगम उज्जैन द्वारा सामाजिक विकास के क्षेत्र में करवाये गये विभिन्न कार्यो को बताया है। इनमें २५.६२ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्कुलों में मध्यान्ह भोजन, २२.२२ प्रतिशत द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना, २०.६८ प्रतिशत द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाना, १६.१३ प्रतिशत द्वारा मातृत्व सहयाता, ११.७२ प्रतिशत द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ६.८८ प्रतिशत द्वारा परिवार सहायता कार्यक्रम का क्रियान्वयन, ६.१७ प्रतिशत द्वारा सुलभ काम्पलेक्स निर्माण, ३.७० प्रतिशत द्वारा गंदी बस्ती सुधार, १२.६७ प्रतिशत द्वारा गरीबी रेखा के राशन कार्ड, १४.८१ प्रतिशत द्वारा सास–बहु सम्मेलन एवं १२.६६ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा रोजगार हेतु ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाना नगर निगम द्वारा सामाजिक विकास के अन्तर्गत किये गये कार्यो में बताया है।

तालिका क्र. 1.3
बाल विकास एवं कुपोषण के क्षेत्र में किये गये कार्य

क्र.	कार्य	संख्या	प्रतिशत
1	निशुल्क शिक्षा	41	25.39
2	स्कूलों में मध्यान्ह भोजन	92	56.79
3	आंगनवाडी/शिशुघर का संचालन	27	16.66
4	साक्षरता अभियान	42	25.92
5	खेल के मैदान	22	13.59
6	बाल श्रम उन्मुलन	06	03.71
7	कोई उत्तर नहीं	04	02.46

तालिका से स्पष्ट है कि बाल विकास के क्षेत्र में उज्जैन नगर निगम द्वारा किये जा रहे कार्यो में सर्वाधिक ५६.७६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्कूलों में मध्यान्ह भोजन को बताया है। २५.३६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने निशुल्क शिक्षा को बाल विकास की दिशा में किये जा रहे कार्यो में बताया है। १६.६६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंगनवाडी/शिशुघर का संचालन, २५.६२ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने साक्षरता अभियान, १३.५६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने खेल के मैदान की व्यवस्था एवं ३.७१ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बाल श्रम के उन्मुलन की दिशा में नगर निगम द्वारा किये जा रहे कार्यो को भी बताया है। २.४६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया।

स्पष्ट है नागरिकों को उज्जैन नगर निगम द्वारा बाल विकास की दिशा में किये गये विभिन्न कार्यो की जानकारी है। ७४.०७ प्रतिशत उत्तरदाता नगर निगम द्वारा बाल विकास की दिशा में किये जा रहे कार्यो से संतुष्ट है।

तालिका क्र. 1.4
नगर निगम से बाल विकास के क्षेत्र में अपेक्षा

क्र.	कार्य	संख्या	प्रतिशत
1	गरीब बच्चों को अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए	48	29.63
2	बच्चों से संबंधित शासकीय योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन	52	32.09
3	बाल श्रम एवं बच्चों से जुड़ी अन्य बुराईयों के उन्मूलन की दिशा में कार्य करना चाहिए	31	19.14
4	स्कूलों में पर्याप्त सुविधॉए यथा–भवन खैल के मैदान आदि सुविधॉए होनी चाहिए	66	40.74

तालिका से स्पष्ट होता है कि ४०.७४ प्रतिशत उत्तरदाताओं चाहते है कि स्कूलों में पर्याप्त सुविधॉए यथा–भवन खैल के मैदान आदि की व्यवस्था करे। ३२.०६ प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि बच्चों से संबंधित शासकीय योजनाओं का सही एवं सुचारू क्रियान्वयन करना चाहिए। २६.६३ प्रतिशत उत्तरदाता यह भी मानते है कि बाल विकास की दिशा में में नगर निगम को गरीब बच्चों को अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। १६.१४ प्रतिशत उत्तरदाताओं की अपेक्षा है कि नगर निगम को बाल श्रम एवं बच्चों से जुड़ी अन्य बुराईयों के उन्मूलन की दिशा में कार्य करना चाहिए।

तालिका क्र. 1.5
महिला एवं बाल विकास स्वास्थ्य तथा टीकाकरण की दिशा में किये गये कार्य

क्र.	कार्य	संख्या	प्रतिशत
1	पल्स पोलियो	96	59.26
2	स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षण	61	37.65
3	दवाई वितरण	43	26.54
4	सास बहु सम्मेलन	36	22.22
5	किशोरी बालिका कार्यशाला	24	14.81
6	हिपेटाइटिस बी टीकाकरण	13	8.02
7	अन्य प्रकार के टीके	101	62.35
8	मच्छर से बचाव हेतु दवाई छिड़काव	34	20.99
9	कोई उत्तर नहीं	02	01.23

तालिका से स्पष्ट है कि नगर निगम द्वारा महिला एवं बाल स्वास्थ्य तथा टीकाकरण की दिशा में किये गये कार्यो में सर्वाधिक ६२.३५ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विभिन्न प्रकार के टीकाकरण को बताया है। ५६.२६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पल्स पोलियों अभियान में सहयोग को बताया है। ३७.६५ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षण एवं २६.५४ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दवाई वितरण को नगर निगम द्वारा महिला एवं बाल स्वास्थ्य तथा टीकाकरण की दिशा में किये गये कार्यो के अन्तर्गत बताया है। महिला विकास हेतु आयोजित सास–बहु सम्मेलन एवं किशोरी बालिका कार्यशाला को क्रमशः २२.२२ एवं १४.८१ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया। २०.६६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मच्छरों एवं मलेरियां से बचाव हेतु दवाई छिड़काव एवं ८.०२ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हिपेटाइटस बी टीकाकरण को भी बताया है। ७५.६३ प्रतिशत उत्तरदाता नगर निगम द्वारा महिला एवं बाल स्वास्थ्य तथा टीकाकरण की दिशा में किये जा रहे कार्यो से संतुष्ट है।

तालिका क्र. 1.6
नगर निगम से महिला एवं बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण के क्षेत्र में अपेक्षा

क्र.	कार्य	संख्या	प्रतिशत
1	समयानुसार टीकाकरण प्रत्येक क्षेत्र में करना चाहिए	36	22.22
2	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारियों का पर्याप्त प्रचार–प्रसार	41	25.31
3	निम्न बस्तियों में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाये	29	17.90
4	निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाना चाहिए	78	48.15

तालिका से स्पष्ट है कि ४८.१५ प्रतिशत उत्तरदाता चाहते है कि नगर निगम निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाये। २५.३१ प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि नगर निगम को टीकाकरण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारियों का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करना चाहिए। १७.६० प्रतिशत उत्तरदाता इस पक्ष में थे कि निम्न बस्तियों में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

तालिका क्र. 1.7
शहरी निर्धनता उन्मूलन की दिशा में किये गये कार्य

क्र.	कार्य	संख्या	प्रतिशत
1	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु ऋण एवं प्रशिक्षण	112	69.13
2	गरीबी रेखा के राशन कार्ड	59	36.42
3	गंदी बस्तियों में विकास कार्य	44	27.16
4	मजदूर बीमा योजना	31	19.14
5	मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना	47	29.01
6	कोई उत्तर नहीं	02	01.23

तालिका से स्पष्ट है कि नगर निगम द्वारा शहरी निर्धनता उन्मूलन की दिशा में कई कार्य किये गये है। किये गये कार्यो में सर्वाधिक ६६.१३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु ऋण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना बताया। ३६.४२ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों को राशन कार्ड वितरीत किये गये। २७.१६ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि शहरी निर्धनता उनमूलन की दिशा में किये गये कार्यो के तहत नगर निगम द्वारा गंदी बस्ती में विकास कार्यो के माध्यम से गंदी बस्तीयों का उन्मूलन किया गया। १६.१४ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा मजदूर बीमा योजना का लागू करना बताया गया जबकि २६.०१ प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह भी कहना था कि विभिन्न स्थानों पर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवायी गयी है। ६५.४३ प्रतिशत उत्तरदाता नगर निगम द्वारा शहरी निर्धनता उन्मूलन की दिशा में किये जा रहे कार्यो से संतुष्ट है।

तालिका क्र. 1.8
नगर निगम से शहरी निर्धनता उन्मूलन के क्षेत्र में अपेक्षा

क्र.	कार्य	संख्या	प्रतिशत
1	योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए	87	53.70
2	रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए	64	39.51
3	निम्न बस्तियों पर और अधिक विशेष ध्यान दिया जाये	61	37.65
4	अधिक योजनाएँ क्रियान्वित करना चाहिए	18	11.11
5	कोई जवाब नहीं	02	01.23

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि शहरी निर्धनता उन्मूलन के क्षेत्र में ५३.७० प्रतिशत उत्तरदाता चाहते कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए। ३६.५१ प्रतिशत उत्तरदाता चाहते है कि रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। ३७.६५ प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह भी मानना है कि निम्न बस्तियों पर और अधिक विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जबकि ११.११ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि और अधिक योजनाएँ क्रियान्वित करना चाहिए।

तालिका क्र. 1.9
शहरी बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में किये गये कार्य

क्र.	कार्य	संख्या	प्रतिशत
1	स्वरोजगार हेतु ऋण एवं प्रशिक्षण	110	67.90
2	बेरोजगारी भत्ता	98	60.49
3	शहरी मजदूरी कार्यक्रम	61	37.65
4	स्वर्ण जंयति रोजगार योजना	56	34.57
5	काम के बदले अनाज	47	29.01
6	कोई उत्तर नहीं	04	02.47

तालिका से स्पष्ट है कि नगर निगम द्वारा शहरी बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में कई कार्य किये गये है। किये गये कार्यो में सर्वाधिक ६७.६० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु ऋण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना बताया। ६०.४६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बेरोजगारी भत्ता, ३७.६५ प्रतिशत द्वारा शहरी मजदूरी कार्यक्रम, ३४.५७ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्वर्ण जंयति रोजगार योजना तथा २६.०१ प्रतिशत द्वारा काम के बदले अनाज योजना के क्रियान्वयन का भी उल्लेख किया गया। ६०.४६ प्रतिशत उत्तरदाता नगर निगम द्वारा शहरी बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में किये जा रहे कार्यो से संतुष्ट है।

तालिका क्र. 1.10
वृद्धावस्था एवं निराश्रित सहायता की दिशा में किये गये कार्य

क्र.	कार्य	संख्या	प्रतिशत
1	वृद्धावस्था पेंशन	118	72.84
2	परिवार सहायता कार्यक्रम	78	48.15
3	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	49	30.25
4	विधवा निराश्रित पेंशन	32	19.75
5	विकलांग/अशक्त को पेंशन	28	17.28
6	अन्त्योदय योजना द्वारा अनाज वितरण	12	07.41
7	वृद्ध आश्रम का संचालन	26	16.05
8	कोई उत्तर नहीं	02	01.23

तालिका से स्पष्ट है कि नगर निगम द्वारा वृद्धावस्था एवं निराश्रित सहायता की दिशा में अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। सर्वाधिक ७२.८४ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन को बताया है। ४८.१५ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने परिवार सहायता कार्यक्रम के क्रियान्वयन का भी उल्लेख किया है। ३०.२५ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, १६.७५ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विधवा निराश्रित पेंशन, १७.२८ प्रतिशत ने विकलांग एवं अशक्त को पेंशन संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन को बताया। १६.०५ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा वृद्धाश्रम का संचालन एवं ७.४१ प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा अन्त्योदय योजना द्वारा अनाज वितरण का भी उल्लेख किया गया। ६४.२० प्रतिशत उत्तरदाता नगर निगम द्वारा वृद्धावस्था एवं निराश्रितों की सहायता की दिशा में किये जा रहे कार्यो से संतुष्ट है।

तालिका क्र. १.११
नगर निगम से वृद्धावस्था एवं निराश्रितों की सहायता के क्षेत्र में अपेक्षा

क्र.	कार्य	संख्या	प्रतिशत
1	योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए	88	54.32
2	विभिन्न योजनाओं में सहायता राशि में वृद्धि की जाना चाहिए	63	38.89
3	अधिक वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, अनाथाश्रम खोले जाने चाहिए	72	44.44
4	कोई जवाब नहीं	02	01.23

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वृद्धावस्था एवं निराश्रित सहायता के क्षेत्र में ५४.३२ प्रतिशत उत्तरदाता चाहते कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए। ४४.४४ प्रतिशत उत्तरदाता चाहते है कि और अधिक वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, अनाथाश्रम खोले जाने चाहिए जबकि ३८.८६ प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि विभिन्न योजनाओं में सहायता राशि में वृद्धि की जाना चाहिए।

उज्जैन नगर निगम द्वारा किये गये सामाजिक विकास कार्यक्रम के सन्दर्भ में देखें ता पिछले वर्षो में नगर निगम द्वारा विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। इनमें बाल एवं महिला स्वास्थ्य तथा टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मातृत्व सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान एवं पल्स पोलियों अभियानों में सहयोग दिया गया। इसके अतिरिक्त अभिनव सास-बहु सम्मेलन एवं किशोरी बालिकाओं की कार्यशालाएँ भी आयोजित की गयी। शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के तहत नेहरू रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना आदि का क्रियान्वयन किया गया। शहरी बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शहरी स्वरोगार योजना, शहरी मजदूरी कार्यक्रम एवं बेरोजगारी भत्ता का क्रियान्वयन किया गया। निराश्रित एवं अनाथ सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं परिवार सहायता कार्यक्रम लागू किये गये।

इस प्रकार नगर निगम के सामाजिक विकास कार्यक्रमों के सन्दर्भ में आम जनता के दृष्टिकोण के विवेचना से स्पष्ट है कि लगभग तीन चौथाई से भी अधिक लोगों को नगर निगम के सामाजिक विकास के दायित्वों की जानकारी है तथा इसे वे स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्धनता उन्मूलन, बोरोजगारी उन्मूलन, निराश्रित कल्याण आदि कार्यो के रूप में स्पष्ट करते है।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः नगरीय निकायों के सामजिक विकास कार्यक्रम के संदर्भ में उज्जैन नगर निगम पर केन्द्रित इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नगर निगम द्वारा सामाजिक विकास के सन्दर्भ में हर क्षेत्र में कार्य किया गया तथा आम जनता नगर निगम के सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक है।

यद्यपि नगर निगम द्वारा किये गये कार्य एवं प्रयास सराहनीय है किन्तु फिर भी यह कार्यक्रमों केवल राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तक सीमित है। स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता एवं अवश्यकता के आधार पर कोई ठोस कार्ययोजना बनाकर नगर निगम द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि सामाजिक विकस कार्यक्रम के सन्दर्भ में नगर निगम के सम्मुख कठिनाई पर्याप्त वित्त का अभाव है जिस वजह से सामाजिक विकास से संबंधित कार्यक्रम एवं योजनाएँ प्रभावी होने बावजूद इनका लाभ बहुत थोड़े लोगों तक पहुँच पाता है।

फिर भी यह कहा जा सकता है कि नगरीय निकायों को सामाजिक विकास के सन्दर्भ दिये गये अधिकार एवं कर्तव्य स्वागतयोग्य एवं प्रभावी प्रयास है। यदि नगरीय संस्थाएँ शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ सामाजिक विकास के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर अपने प्रयासों से क्षेत्रगत आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रम एवं योजनाएँ बनाये एवं उन्हें अपने संसाधनों से क्रियान्वित करे तभी संस्थाएँ सामाजिक विकास के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी एवं समाज की प्रगति होगी तथा एक खुशहाल समाज हमारे सामने होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

१.अवस्थी, आनंद प्रकाश - मध्यप्रदेश में स्थानीय प्रशासन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल (२००५)
२.अवस्थी, आनंद प्रकाश - मध्यप्रदेश में स्थानीय प्रशासन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल (२००६)
३.बर्थवाल चन्द्रप्रकाश - स्थानीय स्वशासन, सुलभ प्रकाशन लखनऊ, (१९९६)
४.चतुर्वेदी, बी. एन एवं अभिजीत दत्त - लोकल गर्वनमेंट आई. आई. बी. ए नई दिल्ली (१९८४)
५.द्विवेदी राधेश्यम - मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, सुविधा ला हाऊस, भोपाल, (१९६८)
६.कटारिया सुरेन्द्र - सामाजिक प्रशासन, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपूर (१९९७)
७.महेश्वरी श्रीराम - भारत में स्थानीय स्वशासन, लक्ष्मीनारायण, मेरठ (१९९२)
८.मुखर्जी रवीन्द्रनाथ - सामाजिक शोध व सांख्यिकीय, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली (१९९०)
९.मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९६१
१०.७४ वॉ संविधान संशोधन अधिनियम, १९९४

१२.मध्यप्रदेश नगर पालिका संशोधन अधिनियम, १९९४
१३.स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं सामुदायिक सशक्तिकरण।
१४.राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु मर्गादर्शिका।
१५.राष्ट्रीय वृद्धवस्था पेंशन योजना एवं राज शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग दार्शिका।
१६.गरीबी उनमूलन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता।